(वाद सं0–6135/2017)

19.07.2021

परिवादी, सोहा फातमा के पिता मोहम्मद राशिद ईमाम, उपस्थित है।

परिवादी के पिता को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सोहा फातमा पुत्री राशिद ईमाम, ग्राम– गोगी, पोस्ट– पोठिया, प्रखण्ड+अंचल– फारबिसगंज, जिला–अररिया के बिहार राज्य के **सेखड़ा समुदाय** के सदस्य होने के बावजूद सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) से संबंधित जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के प्रतिवेदनानुसार खतियान एवं वंशावली के अनुसार परिवादी के परदादा, शेख जमीर उद्दीन अहमद, पुत्र, शेख महबूब अली, जाति–शेख खतियान में दर्ज है। प्रतिवदेनानुसार किसी भी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र उसके पैतृक आधारित होता है जिस कारण शेख जमीर उद्दीन का वंशज (परिवादी) को सेखड़ा जाति का प्रमाण पत्र विधिनुकुल नहीं रहने के कारण निर्गत नहीं किया गया।

जिला पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी की ओर से परिवादी के पिता का कथन है कि उसके दादा, शेख जमीर उद्दीन अहमद, पुत्र, मोहम्मद ईमाम उद्दीन का खतियान में जाति के रूप में मात्र मुसलमान अंकित है, न कि शेख। परिवादी के पिता का यह भी कथन है कि **सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे उसकी पत्नी नासरीन परवीन, पुत्र साएब राशिद को सेखड़ा समुदाय के सदस्य के रूप में मानकर उन तीनों का अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसुची–1) से संबंधित जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, लेकिन अविश्वसनीय आधार पर उसकी पुत्री, परिवादी (सोहा फातमा)**

का सेखड़ा समुदाय का सदस्य न मानकर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है।

कार्यालय, परिवादी की प्रत्युत्तर (पृ0–76–46/प0) की प्रति संलग्न कर जिला पदाधिकारी, अररिया से इस संबंध में दिनांक–17.11.2021 के पूर्व तक स्पष्ट प्रतिवदेन की मांग किया जाय कि जब, पैतृक आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का नियम है तथा परिवादी के माता, पिता व भाई के पक्ष में सेखड़ा समुदाय का सदस्य मानकर उन तीनों को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) से संबंधित जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है तो वैसी स्थिति में परिवादी को सेखड़ा समुदाय का सदस्य नहीं मानकर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) का जाति प्रमाण पत्र निर्गत क्यों नहीं किया जा रहा है?

संचिका दिनांक–24.11.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>